Fundamental
Duties Of Indian
Constitution

भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य



 The Fundamental duties enshrined in Part IV A of the Indian Constitution represent a set of moral and civic obligations for citizens towards the nation.


 भारतीय संविधान के भाग IV-A में निहित मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्वों का एक समूह दर्शाते हैं।

 Introduced by the 42nd Amendment Act in 1976, the to promote harmony and the spirit of common brotherhood among the diverse people of India.

 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत, इनका उद्देश्य भारत के विविध लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है।







 इस नए खंड में एक अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 51A शामिल है, जो नागरिकों के लिए ग्यारह मौलिक कर्तव्यों का एक समूह निर्धारित करता है, जो इस तरह की निर्दिष्ट जिम्मेदारियों का पहला उदाहरण है।

Fundamental duties were incorporated from the USSR constitution.

• मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर संविधान से शामिल किया गया था।

Swarna Singh Committee Recomendation

Swaran Swigh

 In 1976, first recommended by the Swaran Singh Committee; its need was felt during the internal emergency (1975-77).

• 1976 में, स्वर्ण सिंह सिमिति द्वारा पहली बार इसकी अनुशंसा की गई थी; आंतरिक आपातकाल (1975-77) के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी।

 This committee recommended only 8 fundamental duties which were later extended to 10 by the then congress government.

 इस समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, जिन्हें बाद में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 10 कर दिया था।

Swarna Singh Committee Recommendation

- Some of the recommendations of the Swarn Singh committee were not accepted, that include: Penalty or punishment for the non-performance of Fundamental Duties.
- स्वर्ण सिंह सिमति की कुछ सिफ़ारिशें स्वीकार नहीं की गईं, जिनमें शामिल हैं:मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड या सज़ा।
- No law imposing such a penalty or punishment shall be called into question in any court.
- ऐसा दंड या सज़ा देने वाले किसी भी कानून पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।
- कर चुकाना भी नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए।

Swarna Singh Committee Recomendation

 The committee suggested a new chapter on fundamental duties in the Constitution and suggested eight Fundamental Duties.

8

 सिमिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक नया अध्याय और आठ मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया।

 42nd CAA, 1976: Added Part IV-A, Art 51A to the Constitution containing ten fundamental duties of citizens (Presently 11 duties)

 42वां सीएए, 1976: संविधान में भाग IV-A, अनुच्छेद 51A जोड़ा मदा जिसमें नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्य (वर्तमान में 11 कर्तव्य) शामिल हैं।

Part 1: Art 1-4 (Union) - 2755 Part 2: Art 5-11 (Citizenskip) Pant 3: Art 12-35 (d. Rigety) #1. 3/18/2413) Part 4: Flot 36-51 (DPSP)
-Part 4(A): And 51(A) (d. Duties)
Part 5: President

Features of Fundamental Duties

Moral and civic duties:

 The Fundamental Duties encompass both moral and civic obligations. They include responsibilities such as cherishing the noble ideals of the freedom struggle under Article 51A (b) (a moral duty) and respecting the Constitution, National Flag, and National Anthem under Article 51A(a) (a civic duty).

नैतिक और नागरिक कर्तव्यः

 मौलिक कर्तव्यों में नैतिक और नागरिक दोनों द्वायित्व शामिल हैं। इनमें अनुच्छेद 51ए (बी) के तहत स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना (एक नैतिक कर्तव्य) और अनुच्छेद 51ए (ए) के तहत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना (एक नागरिक कर्तव्य) जैसी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं।

- Role of Fundamental Duties in Judicial Review: They help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law.
- न्यायिक समीक्षा में मौलिक कर्तव्यों की भूमिकाः ये न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच और निर्धारण में सहायता करते हैं।
- Applicability to Citizens: Fundamental Duties are confined to citizens only and not to foreigners.
- नागरिकों पर प्रयोज्यताः मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं, विदेशियों पर नहीं।
- Non-justiciable: These are not justiciable by courts. However, Parliament can enforce this through suitable legislation.
- गैर-न्यायसंगतः ये न्यायालयों द्वारा न्यायसंगत नहीं हैं। हालाँकि, संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इसे लागू कर सकती है।

Criticism of Fundamental Duties

- Lack of clarity: Many duties are vague and ambiguous, e.g., "to cherish noble ideals
 of the freedom struggle."
- स्पष्टता का अभाव: कई कर्तव्य अस्पष्ट और संदिग्ध हैं, उदाहरण के लिए, "स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोए रखना।"
- Primarily moral and not legal: Duties are more of a moral code of conduct rather than binding constitutional commands.
- मुख्यतः नैतिक, कानूनी नहीं: कर्तव्य संवैधानिक आदेशों को बाध्यकारी बनाने के बजाय नैतिक आचार संहिता के अधिन हैं।

- Absence of direct enforcement mechanism: No clear penalty or authority to ensure their compliance. Implementation depends only on citizens' conscience.
- प्रत्यक्ष प्रवर्तन तंत्र का अभाव: इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट दंड या प्राधिकार नहीं है। कार्यान्वयन केवल नागरिकों की अंतरात्मा पर निर्भर करता है।
- Incomplete list: Paying taxes and voting in elections are not included in Fundamental Duties.
- अपूर्ण सूची: करों का भुगतान और चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं हैं।

Significance of Fundamental Duties

Reminding citizens of their responsibilities.

नागरिकों को उनकी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाना। Warning against antinational activities.

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति चेतावनी देना। Inspiring discipline and commitment.

अनुशासन और प्रतिबद्धता की प्रेरणा देना। Assisting in determining constitutional validity.

संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में सहायता करना।

Note: According to a 1992 Supreme Court decision, a court may consider a law to be "reasonable" in relation to Article 14 (equality before the law) or Article 19 (six freedoms) and thus prevent it from being unconstitutional if it finds that the law in question seeks to carry out a fundamental duty.

नोट: 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एक अदालत अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) या अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रता) के संबंध में किसी कानून को "उचित" मान सकती है और इस प्रकार इसे असंवैधानिक होने से रोक सकती है यदि यह पाता है कि संबंधित कानून एक मौलिक कर्तव्य को पूरा करना चाहता है। Political Justification.

राजनीतिक औचित्य





a) To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and National Anthem (not including the National Song).

- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान (राष्ट्रीय गीत को छोडकर) का सम्मान करना।
- To cherish and follow the noble ideals that inspired the struggle for freedom.
- स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखना और उनका पालन करना।
- To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
 - भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा करना।
 - d) To defend the country and render national service when called upon to do so.

 देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करना।

e) To promote the common spirit of brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women.

धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधवाओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में भाईचार की समान मावना को बढ़ावा देना; महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।

f) To value and preserve the rich heritage of our composite culture.
• हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना।

g) To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, and wildlife, (No Mention of Rivers and Ocean) and to have compassion for living creatures etc.


 वनों, झीलों और वन्य जीवों (निदयों और महासागरों का उल्लेख नहीं) सिहत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और जीवित प्राणियों आदि के प्रति दया का भाव रखना।

- h) To develop a scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करना।
- i) To safeguard public property and to abjure violence.
 - सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना।



- To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavours and achievement.
 - व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुँच सके।
 - As a parent or guardian to provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years. (added by the 86th Constitutional Amendment Act (2002).
 - माता-पिता या अभिभावक के रूप में अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। (86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

Justice Verma committee on Fundamental Duties



The government of India established a committee under the chairmanship of Justice J S Verma Committee, known as Verma Committee on Fundamental Duties of the Citizens (1999) to scrutinize the practical facets of Fundamental Duties (FD) and propose measures aimed at educating and instilling in people the importance of adhering to FD.

भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों (एफडी) के व्यावहारिक पहलुओं की जांच करने और लोगों को मौलिक कर्तव्यों के पालन के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से उपायों का प्रस्ताव करने के लिए न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की, जिसे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) के रूप में जाना जाता है।

The following laws were identified by the committee for the enforcement of some of the Fundamental Duties: समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित कानूनों की पहचान की: Prevention of Insults to National Honour Act, 1971/राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 Protection of Civil Rights Act, 1955 / नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 Representation of the People Act, 1951/जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 195% Wildlife (Protection) Act, 1972 / वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 Forest (Conservation) Act, 1980 / वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

OUESTION !

1. Which of the following articles says that 'it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years'?

निम्नलिखित में से कॉन-सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता-पिता या अभिभावक है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने छह से चौदह वर्ष के बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करे?

- a) 51A(k)
- b) 51A(j)
- c) 51A(i)
- d) 51A(h)

SSC CHSL








2. A father was speaking about the rich culture of India to his young son and his teenage friends. The fundamental duty in which Article was the father promoting? एक पिता अपने छोटे बेटे और किशोर मित्रों से भारत की समृद्ध संस्कृति के बारे में बात कर रहा था। वह किस अनुच्छेद में बताए गए मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा था

51A(f)

b) 51A(e)

c) 51A(d)

d) 51A(c)



-Question

3. Which of the following Committee/Commission recommended the inclusion of Fundamental Duties?

निम्नलिखित में से किस समिति/आयोग ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश

की थी?

Swarna Singh Committee / स्वरन सिंह समिति

b) Ashok Mehta Committee / अशोक मेहता समिति

c) Balram Jhakar Committee / बलराम झाखड़ समिति

d) Sarkaria Commission / सरकारिया आयोग

RAS 2021

& Panchaya,





- 4. When were the Fundamental Duties mentioned in the Constitution? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था?
- a) At the time of framing of the Constitution / संविधान निर्माण के समय 💢
- b) On 26th January, 1950 / 26 जनवरी, 1950 को 🗸 🦯 🔰
- t) In the 42nd Constitutional Amendment / 42वें संविधान संशोधन में
- d) In the 41st Constitutional Amendment / 41वें संविधान संशोधन में

MPPSC 2017

-Question

5. The Fundamental Duties are mentioned in which part of the Indian Constitution?

मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?

- a) Part III / भाग III
- b) Part IV / भाग IV
- c) Part IV A / भाग IV A
- d) Part VI / भाग VI

UPPCS Mains







6. Article 51A deals with Fundamental Duties, currently how many

Fundamental Duties are mentioned?

अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य

बताए गए हैं?

a) 10

b) 11

c) 12

d) 15

2

MPPSC Pre 2023



7. Under the Constitution of India, which of the following is not a Fundamental Duty?

भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?

a) To vote in General Election / आम चुनाव में मतदान करना 🗡

b) To develop the scientific temper / वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करन

c) To safeguard public property / सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना

d) To abide by the Constitution and respect its ideals / संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना

UPPCS Pre 2021



Question

8. Which of the following duties has/have not been prescribed by the Indian Constitution as Fundamental Duties?

निम्नलिखित में से कौन-से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं?

- a) To defend the country / देश की रक्षा करना
- b) To pay income tax / आयकर देना
- c) To preserve the rich heritage of our composite culture / हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना 🗸
- d) To safeguard the public property / सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना 🛫

UPPCS Pre

OUESTION !

9. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:



- 1. Fundamental Duties were part of the Constitution from the very beginning. / मौलिक कर्तव्य संविधान का प्रारंभ से ही हिस्सा थे
- 2. Fundamental Duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment (1976). / मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।

Which of the above statements is/are correct?) उपरोक्त में से कौन-सा कथन सही है?

- a) Only 1 / केवल 1
- b) Only 2 / केवल 2
- c) 1 and 2 / 1 और 2
- d) Neither 1 nor 2 / न तो 1, न ही 2







- 10. Which one of the following is not a Fundamental Duty?
- निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तळ नहीं है?
- a) To follow the Constitution / संविधान का पालन करना
- b) To respect the national flag and national anthem / राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
- c) Formation of Panchayats / पंचायतों का गठन
- d) To protect the unity and integrity of the country / देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना

Const. Ren (41+35) (19-55) Part III Unt >15-32 23,24) (23,24) (52-58) 261.2.m